फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

आवेश ______ विपक्षी भेरुदास

मुकदमा वाद पत्रावली संख्या 181/19 सन् ______

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
28/1/25 पत्रावली पेश हुई। आज वादी उप.। साक्ष्य पेश करने का मौका चाहा। स्वत: वाद खर्चे की शर्त पर अंतिम अवसर दिया जाता है। आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से साक्ष्य वादी पेश करे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 15/4/25 को पेश हो।	
15/4/25 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. साक्ष्य वादी के लिये मौका चाहते है। अत: अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 24/4/25 को पेश हो। (SDO) मावली	
24/4/25 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. साक्ष्य वादी के लिये मौका चाहते है। अत: अंतिम स्वत: वाद खर्चे की शर्त पर अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 5/6/25 को पेश हो। (SDO) मावली	
5/6/25 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. साक्ष्य वादी के लिये मौका चाहते है। अत: अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 27/6/25 को पेश हो। (SDO) मावली	
27/6/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप. उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी अ... भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रा... के क्रम में दिनांक 28/7/25 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:55:47 IST
Reason: SelfAttested

28/7/25
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. अनुपस्थित
...ने लिये मौका चाहते है। अतः अंतिम
...अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 11/8/25
...को पेश हो।

(SDO) मावली

11/8/25
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक 25/8/25 को पेश हो।

D/o

25/8/25
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक 23/9/25 को पेश हो।

D/o

23/9/25
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय सांय 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण वर्तमान मे साक्ष्य वादी में नियत हैं। वादीगण को साक्ष्य हेतु लगभग 3 वर्ष का समय दिया जा चुका है परन्तु वादीगण द्वारा साक्ष्य पेश नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वादीगण अपने वाद के प्रति सजग नहीं है एवं मात्र प्रकरण को लम्बा करना चाहते हैं। आज भी वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण अनुपस्थित रहने पर वादीगण का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मावली जिला-उदयपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:55:47 IST
Reason: SelfAttested